Indian Streams Research Journal
Vol -1 , ISSUE –1, Feb - 2011
ISSN:- 2230-7850
Available online at www.lbp.world

''मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो मे फसल बीमा एवं बीमित क्षैत्र ''
(खरगोन जिले के सन्दर्भ में)

Rashmi Chouhan

Research Center Govt. P.G. College Khargone.

प्रस्तावनाः–

भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि–प्रधान अर्थव्यवस्था है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ मानी जाती है। कृषि देश मे जीविकोपार्जन का एक साध नही नही बल्कि एक प्रमुख उघोग बन गई है। सन 1956 से 2001 तक ओघोगिक 201 के अर्न्तगत देश में उघोग को बढावा देने के बावजुद भी भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के लिये कृषि पर निर्भर है। सामान्यतया यह देखा गया है कि जिस वर्ष देश मे कृषि उत्पादन अधिक होता है उस वर्ष देश की आर्थिक विकास की दर ऊँची होती है। इसके विपरीत कृषि क्षेत्र मे सुखा पडने के कारण कृषि उत्पादन में कमी होने से आर्थिक विकास की दर भी कम हो जाती है। देश के उघोग धंधे विदेशी व्यापार विदेशी मुद्रा का अर्जन राष्ट्रीय आय तथा रोजगार स्तर मे वृद्धि सभी कृषि पर निर्भर है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओ द्वारा चलाए जा रहे है विभिन्न कार्यक्रमो एवं प्रयासो से कृषि को राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था मे गरिमापूर्ण दर्जा मिला है।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि एवं अन्य कार्यो की प्रकति बहुत जोखिम पूर्ण होती है। कृषि सुखे,बाढ,आदि कि जोखिम से बहुत अधिक प्रभावित होती है। ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि के साथ पशुपालन यथा गाय,भैस,बैल,बकरी,भेड आदि रेशम किट तथा मधुमक्खी पालन, पौधा रोपण तथा बागवानी फसले, कृषि यंत्र, व्यक्ति तथा ग्रामीण दुर्घटना आदि परिसम्पत्तिया बहुत जोखिम पूर्ण होती है। अतः जरूरी है कि कृषक एवं ग्रामीणो को जोखिम के विरूद्व सुरक्षा प्रदान की जाय। भारत मे बीमा व्यवसाय हेतु बीमा अधिनियम 1938 बनाया जो 1 जुलाई 1939 से प्रभावी हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद देश के बीमा उघोग की दशा सुधारने के लिए प्रयास किये गये। सन 1950 मे बीमा अधिनियम मे अनेक महत्वपुर्ण संसोधन कियें गये सन 1956 मे लाईफ इन्श्योरेस कार्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई। भारतीय जीवन बीमा निगम केवल व्यक्ति को जीवन जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन के साथ–साथ परिसम्पत्तियों की सुरक्षा भी बहुत महत्वपुर्ण होती है। परिसम्पत्तियो को जोखिम सुरक्षा प्रदान करने हेतु सामान्य बीमा अधिनियम 1972 पारित किया गया। इसके अन्तर्गत भारतीय सामान्य बीमा निगम की स्थापना की गई। मार्च 2003 (21.03.2003) से सामान्य बीमा निगम परिसम्पत्तियो की सुरक्षा हेतु चार कम्पनियो –

1. न्यु इण्डिया इश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड
2. नेशनल इश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड
3. ओरिऐंटल इश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड
4. युनाईटेड इण्डिया इश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड

के माध्यम से जोखिम सुरक्षा बीमित सम्पत्ति को प्रदान करता है भारत के ग्रामीण क्षेत्रो की आवश्यकताओ को ध्यान मे रखते हुए भारतीय साधरण बीमा निगम मे फसल बीमा, पशुधन बीमा, भेड–बकरी,मुर्गी बीमा आदि एवं जनजातियो के लिए बीमा पत्रक, छोटे तथा सीमान्त किसानो तथा निर्धन लोगो के लिए व्यापक बीमा पत्रक, कुओ की खुदाई के दोरान उत्पन्न जोखिमो के लिय बीमा पत्रक आदि योजनाओं को संचालित किया है।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि बीमा निगम लिमिटेड कि स्थापना 2003 के पश्चात निगम द्वारा अपनी व्यवसायिक गतिविधियो को प्रारम्भ किया। 2003 के बाद सम्पूर्ण भारत मे फसलो का बीमा इस निगम द्वारा किया जाने लगा। सम्पूर्ण देश मे खरीफ मौसम की अधिसुचित फसलो एवं रबी मौसम की अधिसूचित फसलो का बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। निगम अपनी

बीमा सम्बधी समस्त व्यवसायिक गतिविधियां क्षैत्रिय कार्यालयो एवं वाणिज्यिक बैंको क्षैत्रीय ग्रामीण बैंको एवं सहकारी संस्थाओ के सहयोग से संचालित करता है।

2 अध्ययन का उददेश्य :– प्रस्तुत शोध कार्य के अन्तर्गत निम्न लिखित उददेश्य निर्धारित किये गये है।

1. मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षैत्रो में फसल एवं परिसम्पत्तियो की बीमा स्थिति का अध्ययन है।
2. यह ज्ञात करना कि कितने ग्रामीण परिवारो को बीमा सुरक्षा का लाभ प्राप्त हुआ है।
3. यह ज्ञात करना कि ग्रामीण क्षैत्रो में बीमा दायित्वो की स्थिति क्या है?
4. ठस बात का अध्ययन करना कि साधारण बीमा व्यवसाय करने वाली कम्पनियो द्वारा किन जोखिमो के विरूद्ध अधिक बीमा किया गया है।
5. ग्रामीण परिवारो को कृषि परिसम्पत्तियो के बीमा कराने में आने वाली कठिनाईयो का अध्ययन करना तथा उन्हे बीमा सुरक्षा से अधिक लाभ प्राप्त हो सके इस हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।
6. परिसम्पत्तियो एवं फसल बीमा सुरक्षा पर ग्रामीण परिवारो द्वारा किये जाने वाले विनियाग की जानकारी प्राप्त करना।

3 बीमा की आवश्यकता एवं उददेश्य :– फसल बीमा की आवश्यकता जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिये क्षतिपूर्ति का कानुनी अधिकार बीमित राशि की निश्चित रूप से प्राप्ती ऋणो की सुरक्षा कृषि का विकास कृषि का व्यवसायिकरण आदि आवश्यकताओ को ध्यान मे रखते हुये महसुस की गई। बीमा की आवश्यकता व उददेश्य निम्नानुसार है।

1. खतरे का केवल इतना मतलब होता है कि हानि या क्षति की सम्भावना है। क्षति भी हो सकती है और नही भी बीमा इसी सम्भावना के चलते किया जाता है कि हो सकता है, क्षति पहुचे। जोखिम के बारे में अनिश्चितता बनी रहनी चाहिए।
2. स्मान जोखिम से उदभासित सभी व्यक्ति साथ मिलकर स्वीकार करते है कि यदि उनके किसी सदस्य को हानि होती है तो अन्य उस हानि मे अंशदान कर हानि उठाने वाले व्यक्ति कि भरपायी करेगें। पोत से भाल भेजने वाले पानी से संबंन्ध क्षति पाते डुबने जल दस्यु आदि के प्रति उदभासित होते है। इस प्रकार अलग–अलग प्रकार की जोखिमो कि पहचान हो सकती है अैार प्रथक समुह बनाये जा सकते है जिससे जोखिम का फेलाव समुदाय के मध्य हो जाता है और एक पर पडने वाले भारी आघात को सबके द्वारा छोटे–छोटे आघातो मे कम कर दिया जाता है।
3. आर्थिक जरूरतो की संतुष्टी के लिए किसी स्त्रोत से आय आर्जन होना चाहिए। यदि आय की स्त्रोत संम्पत्ति पूर्णतः या अंशत स्थायी रू॰ से या अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाय तो आय की बंद हो जायगी। बीमे का प्रयोजन ऐसे कम भाग्यशाली व्यक्तियों की मदद से हानि की पूर्ति करना है जो उसी जोखिम से उदभासित हो परन्तु जो ऐसी आकस्मिक घटना से बच गये हो। इस प्रकार बीमा का प्रयोजन करना एवं निश्चितता को अनिश्चतता द्वारा प्रतिस्थापित करना है ।
4. हानि मे भागीदारी की पद्धति को पहले से निर्धारित किया जा सकता है। उस अनुपात पर हो सकता है जिस अनुपात मे प्रत्येक व्यक्ति को हानि की आशंका होती है जो उस लाभ का घोतक है जो यदि आपदा न होती ना उसे होता। हानि होने के बाद सदस्यो से अशंदान एकत्र किया जा सकता है। बीमा कम्पनी इस अंशदान को अग्रिम रू॰ से एकत्र कर निधि का गठन करती है जिससे हानियो का भुगतान किया जाता है।

मध्यप्रदेश मे फसल बीमा :– मध्यप्रदेश राज्य के किसान अत्यंत निर्धन एवं कृषि की द्रष्टि से बहुत पिछडे हुए है। कृषि की नवीन तकनीको के अभाव मे इनकी फसले खराब होने की सम्भावना बहुत अधिक बनी रहती है। प्रदेश मे कभी वर्षा की अधिकता तो कभी सुखे की स्थिति निर्मित हो जाती है। किटो के प्रकोप से भी फसल को नुकसान पहुचाया है। फसल बीमा की विभिन्न योजनाओ के साथ राष्ट्रिय कृषि बीमा योजना ने कृषको को काफी राहत प्रदान की है। सत्र 2000–01 से 2009–10 तक प्रदेश में फसल बीमा के तहत कृषको की स्थिति निम्नानुसार है–

क्रं.	वर्ष	रबी मौसम	वृद्धि / कमी	खरीफ मौसम	वृद्धि / कमी	योग
1	2001–01	382	–	864	–	1246
2	2001–02	482	+100	1196	+332	1678
3	2002–03	582	+100	978	–218	1580
4	2003–04	543	–39	1461	+483	2004
5	2004–05	672	+129	1399	–62	2071
6	2005–06	777	+105	1399	–122	2054
7	2006–07	582	+195	1277	+114	1973
8	2007–08	824	–43	1391	+326	1889

9	2008–09	781	–43	1542	+447	2323
10	2009–10	1015	+234	1611	+69	2626

स्त्रोतः–एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड।

तलिका क्रमांक ...मध्यप्रदेश मे फसल बीमा के अन्तर्गत बीमित किसानो की दस वर्ष की प्रगति को दर्शाती है। प्रदेश मे रबी एवं खरीफ दोनो ही मौसम मे फसल बीमा हुआ है। वर्ष 2000–01 मे रबी मौसम मे 382 हजार कृषको ने तथा खरीफ मौसम मे 864000 कृषको ने गेहुॅ धान जैसी फसलो का बीमा करवाया। दस वर्ष की अवधि मे दोनो ही मौसम मे कुछ वर्षो मे फसल बीमा कराने वाले कृषको को ऋण प्राप्त नही होना पाया गया। वर्ष 2009–10 मे प्रदेश के 1015 कृषको ने रबी मौसम तथा 1611 हजार कृषको ने खरीफ मौसम की फसलो का बीमा करवाया।

मध्यप्रदेश मे बीमित क्षेत्रः– फसल बीमा का अधिक से अधिक लाभ कृषको को तभी प्राप्त होगा जब कृषको की अधिक से अधिक फसल बोयी गयी कृषि भूमि बीमा आवरण के तहत सुरक्षित होगी। मध्यप्रदेश मे लघु एवं सीमांन्त कृषको की संख्या अधिक होने से यहां कृषि जोतो की संख्या अधिक है। कृषको की आर्थिक स्थिति ठीक न होने से वें संस्थागत ऋण लेते है। संस्थागत ऋण लेने से उनके द्वारा बोयी गई भूमि का क्षैत्र बीमा कवरेज के अर्न्तगत आ जाता है। विगत 10 वर्षो मे प्रदेश के निम्नलिखित कृषि क्षैत्र को फसल बीमा की सुरक्षा प्रदान की गई। प्रदेश में बीमित क्षैत्र का रकबा दस वर्षो मे रबी मौसम मे 451 हजार हेक्टयर से बडकर 1833 हजार हेक्टयर हो गया। इसी प्रकार खरीफ मौसम का बीमित रकबा 2004 हजार हेक्टयर से बडकर 3678 हजार हेक्टयर हो गया। फसल बीमा के तहत बीमित क्षैत्र वृद्धि कृषको को आर्थिक सुरक्षा की द्रष्टि से लाभदायक है। वर्ष 2004–05 से 2007–08 एवं 2009–10 मे रबी मौसम मे तथा वर्ष 2001–02,2003–04,2005–06,2006–07 तथा 2008–09 मे खरीफ मौसम मे बीमित क्षैत्र मे कमी आई जो कृषको के लिए ठीक नही था। यदि सकल बोया गया क्षेत्र देखे तो बीमित क्षैत्र मे 2000–01 के 2455 हजार हेक्टयर क्षैत्र की तुलना मे वर्ष 2009–10 मे बीमित क्षैत्र 5511 हजार हेक्टयर था।

मध्यप्रदेश मे बीमाकृत राशि (फसल बीमा) :–बीमाकृत राशि कृषको को कुल क्षति का आधार होती है। बीमाधन जितना ज्यादा होगा क्षति कि स्थिति मे कृषको को उतनी अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रतिफल प्राप्त होगा। बीमाकृत अलग–अलग होता है। कपास,मिर्च,केले,गन्ना जैसी फसलो की बीमाकृत राशि अधिक तथा गेहुॅ,धान,ज्वार एवं अन्य दलहन, तिलहन फसलो की बीमाकृत राशि कम होती है। प्रदेश मे बीमाकृत राशि का वर्णन तालिका क्रमांक 2 मे किया गया है–

तालिका क्रमांक –2.2
मध्यप्रदेश में फसल बीमा के अन्तर्गत बीमा राशि (करोड रूपयो में)

क्रं.	**वर्ष**	**रबी मौसम**	**खरीफ मौसम**	**योग**
1	2000–01	58	396	454
2	2001–02	175	433	608
3	2002–03	267	813	1080
4	2003–04	411	706	1117
5	2004–05	458	1327	1785
6	2005–06	679	1513	2192
7	2006–07	978	1580	2558
8	2007–08	752	2072	2824
9	2008–09	1341	1724	3065
10	2009–10	1282	3077	4299

स्त्रोतः– एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 2000–01 मे रबी एवं खरीफ दोनो मैसम की फसलो का बीमा 454 करोड रूपये का किया गया अर्थात फसलो के नुकसान होने पर कृषको को 454 करोड रूपये की क्षतिपूर्ति बीमा दावो के अन्तर्गत की जाती इस प्रकार वर्ष 2009–10 मे 4299 करोड रूपये की फसलो का बीमा कीरवाया गया। रबी मौसम मे बीमाकृत राशि खरीफ मौसम की तुलना मे विगत 10 वर्षो मे प्रत्येक वर्ष मे कम बनी रही इसका कारण यह रहा है कि यहां सिचाई सूविधाओ की कमी से कृषक रबी मौसम की फसले कम बाते है जिससे बीमा की कम मात्रा मे हो पाता है।

निष्कर्षः–

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि किसी भी देश की समृद्धि प्रत्यक्षत कृषि तथा उघोग के विकास पर निर्भर करती है। वास्तव मे यह कहना सही है– ''आर्थिक विकास की कुंजी कृषि विकास मे निहित है'' बावजुद इसके भारतीय कृषि बहुत पिछडी हुई है क्योकि कृषि विकास हेतु देश मे निहित सुविधाएं, तकनीक एवं बीज के साथ–साथ पर्याप्त वित्त की कमी भी पाई जाती है। यदि कृषक इन संसाधनो को जुटाता भी है तो फसल एवं सम्पत्ति की जोखिम बनी रहती है। बीमा भविष्य की अनिश्चताओ से संम्बधित भय, चिंता और डर को समाप्त करता है। और विघमान संसाधनो के सक्षम उपयोग को भी प्रोत्साहित करता है इस प्रकार बीमा वाणिज्य और विकास को प्रोत्साहन देता है और अर्थव्यवस्था का सुदढ करता है। राष्ट्र की उत्पादन अढाने मे योगदान देता हैं। ग्रामीण क्षैत्रो मे बीमा का विकास किया जाना चाहिए। फसल बीमा का अधिक से अधिक लाभ कृषको को तभी प्राप्त होगा। जब कृषको की अधिक से अधिक बोयी गई कृषि भूमि बीमा आवरण के तहत सुरक्षीत होगी। बीमाकृत राशि कृषको को कुल क्षति का आधार होती है। बीमाधन जितना ज्यादा होगा क्षति की स्थिति ये कृषको को उतनी अधिक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी। आज भी देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से अजीविका प्राप्त करती है भारत मे कृषि की स्थिति अच्छी नही है। देश में कृषको को कृषि कार्य हेतु प्रयाप्त वित्तिय सुविधाएं उपलब्ध नही है। सिंचाई की स्थिति भी ठीक नही है कृषको को उन्नत किस्म के बीज एवं अन्य कृषि आगतो की आवश्यकताओ की पूर्ति भी नही हो पा रही है। भारतीय कृषि आज भी विभिन्न जोखिमो से घिरी हुई है। जिसकी सुरक्षा के प्रयास शासन ने समय समय पर किए है। परन्तु प्रर्याप्त नही है। बीमा की उपयोगिता निरन्तर बढती जा रही है। बीमा की उपयोगिता के बारे मे **रामेश्वर पाण्डे** के अनुसार :–

''बहूत चल लिये तुम , अपनी आँख को मीचे।
बुढापे की लाठी ''अक्षय'' बुढा बरगद ये सीचे ।।
''जन रक्षा और धन रक्षा दोनो से महके बाग बगीचे।
आजाओ अब समय है, बीमा कल्पतरू के निचे।।

संन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1. राव एवं कोण्डवार (1972) म.प्र. का आर्थिक विकास म.प्र. हिन्दी अकादमी भोपाल।
2. यादव सुबहसिंह (1992), कृषि अर्थव्यवस्था, रावत प्रकाशन नई दिल्ली ।
3. निम जय प्रकाश (1999), कृषि अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा ।
4. kumaran k.p- Rural Tension in India collage Book Dept. Jaipur [2005,
5. Desai V.- Rural Devlopment vol 3 Himalaya Publishing House Bombay {1988}
6. छाहमा ओमप्रकाश (1963) कृषि एवं ग्राम अर्थव्यवस्था रामप्रसाद एवं आगरा।
7. सिन्हा वी.सी. एवं पुष्पा सिन्हा– कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था लोक भारती प्रकाशन इलाहबाद (1982)
8. www.aicofindia.org
9. www.mpkrishi.org
10. www.govtpressmp.nic.in